'हिन्दी की संवैधानिक स्थिति और सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग'
CONSTITUTIONAL STATUS OF HINDI AND ITS' USE IN OFFICIAL WORK

संघ की भा-ा नीति (Language Policy of the Union)

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली 'हिन्दी' को राजभा-ा का दर्जा दिया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में निहित है। अनुच्छेद 343 (2) अनुसार संविधान के लागू होने के 15 व-र् की अवधि तक अर्थात 25 जनवरी, 1965 तक संघ के सरकारी कार्यों के लिए 'अंग्रेजी' का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 343 (2) में संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज मे अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सके। तद्नुसार इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा राजभा-ा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) पारित किया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत राजभा-ा नियम, 1976 स्वीकृत किया गया।

भारत के संविधान में निम्नलिखित वि-ायों के संबंध में अलग-अलग उपबन्ध किए गए हैं :

1. संघ की सरकारी भा-ा (Official Language of the Union);

2. संसद के कार्य संचालन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भा-ा; तथा
(Language to be used for translation of business of Parliament);

3. कानून बनाने के लिए और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भा-ा
(Language to be used in Supreme Court and High Court and for framing Laws.)

1. संघ की सरकारी भा-ा (Official Language of the Union);

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में यह व्यवस्था की है कि संघ की सरकारी भा-ा लिपि में हिन्दी होगी और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्रा-ट्रीय रूप (International form of numeral) होगा।

2. संसद के कार्य संचालन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भा-ा; तथा
(Language to be used for translation of business of Parliament);

सं्विधान के अनुच्छेद 120 (1) के अधीन संसद की कार्यवाही हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सम्पन्न होगी। इस बारे में भी उपबन्ध है कि सभापति अथवा अध्यक्ष या उनकी जगह काम करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे सदस्य को जो हिन्दी अथवा अंग्रेजी मे अपने भावों को ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता हो, सदन मे अपनी मातृभा-ा बोलने की अनुमति दे सकता है। राजभा-ा अधिनियम 1963 की धारा (3) **के अधीन 26 जनवरी, 1965 से आगे संसद में कार्य-नि-पदन के लिए हिन्दी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का उपबन्ध किया गया है।**

3. कानून बनाने के लिए और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयुक्त की जाने वाली भा-ा
(Language to be used in Supreme Court and High Court and for framing Laws.)

संविधान के अनुच्छेद 348 (1) में अन्य बातों के साथ यह विहित है कि जब तक संसद द्वारा अन्यथा कोई उपबन्ध न किया जाए, तब तक **उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां तथा केन्द्र और राज्य के सभी अधिनियमों (Acts), विधेयकों (Ordinances) और संविधान के अधीन अथवा किसी राज्य अथवा केन्द्र विधि के अधीन जारी किए गए** सभी आदेश, नियमों, विनियमों या उपविधियों के **'प्राधिकृत पाठ' अंग्रेजी** में होंगे।

उपरोक्त अनुच्छेद के खण्ड-2 में यह उपबन्ध भी किया गया है कि रा-ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य के राज्यपाल हिन्दी अथवा राज्य के किसी सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किसी अन्य भा-ा के प्रयोग को ऐसे उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए प्राधिकृत कर सकता है। जिसका मुख्यालय उस राज्य में हो, परन्तु निर्णयों, डिग्रियों और आदेशों के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा।

इस अनुच्छेद के खण्ड 3 के अधीन किसी भी राज्य का विधानमंडल, विधेयकों अथवा अधिनियमों आदि के प्रयोग के लिए अंग्रेजी भा-ा से इतर किसी अन्य भा-ा का प्रयोग विहित कर सकता है **बशर्ते कि सरकारी राजपत्र में उनका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाए जिसे उसका अंग्रेजी भा-ा का** प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

हिन्दी भा-ा के विकास के लिए निर्देश

राजभा-ा अधिनियम पारित करने के साथ दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनो सदनों में भा-ा नीति संबंधी एक **संकल्प** भी पारित किया गया जिसे 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित किया गया। इस संकल्प की धारा-1 के अनुसार हिन्दी के विकास तथज्ञ प्रसार के लिए संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने हेतु प्रत्येक व-र्ा **वार्-िक कार्यक्रम तैयार कराने और उसे क्रियान्वित** कराने का दायित्व केन्द्र सरकार को सौंपा गया है।

हिन्दी के प्रसार तथा विकास की दिशा में भारत सरकार द्वारा 1955 में राजभा-ा आयोग की नियुक्ति की गई थी। राजभा-ा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के **अनुच्छेद 344 के खण्ड 4 के अनुसार लोक सभा से 20 और राज्य सभा से 10 सदस्यों** की एक समिति गठित की गई। राजभा-ा आयोग की सिफारिशों तथा संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात रा-ट्रपति जी द्वारा इस संदर्भ में 27 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश समावि-ट हैं :

1. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्थाई आयोग की स्थापना।
2. शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों तथा कार्याविधि-साहित्य का अनुवाद कार्य हाथ में ले और भा-ा में एकरूपता लाने की दृ-टि से यह काम केवल एक ही अभिकरण को सौंपा जाए।

3. मानक विधि शब्दकोश बनाने और विधि शब्दावली निर्माण के लिए विशे-ाज्ञों का एक स्थाई आयोग स्थापित किया जाए।

4. केन्द्र सरकार के ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए (तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर) **हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण** अनिवार्य कर **दिया जाए, उनकी आयु** 1.1.1961 को 45 व-र्ा से कम हो।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

14 सितम्बर, 1949 को हमारी संविधान सभी (Constituent Assembly) द्वारा 'हिन्दी' को संघ की राजभा-ा के रूप में स्वीकार किया गया था। तत्पश्चात सरकारी कामकाज में 'हिन्दी' के प्रयोग की दृ-टि से भारत सरकार द्वारा राजभा-ा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत विस्तृत नियम तैयार किए गए थे। इन नियमों संक्षिप्त नाम 'राजभा-ा (संघ के शासकीय प्रयोजनों में प्रयोग के लिए) नियम' [Official Languages (Use of Official Purposes of the Union) Rules] 1976] है। यह नियम केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा इनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों पर समान रूप से लागू होते हैं।

पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग की दृ-टि से देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्यों को भा-ायी आधार पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है।

भा-ाायी आधार पर राजभा-ाा नियमों के अनुसार देश का क्षेत्रीय वर्गीकरण
[राजभा-ाा नियमावली, 1976 - नियम2 (च), (छ) (ज)]

क्रमांक	क्षेत्रीय वर्गीकरण	हिन्दी में पत्र-व्यवहार के लिए निधारित प्रतिशतता
1.	'क' क्षेत्र ➢ बिहार झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह।	➢ 100% पत्र, तार एवं फैक्स हिन्दी में भेजे जायें
2.	'ख' क्षेत्र ➢ गुजरात, महारा-ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य।	➢ 100% पत्र, तार एवं फैक्स हिन्दी में भेजे जायें
3.	'ग' क्षेत्र ➢ उडीसा, असम, कर्नाटक, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, केरल, तमिलनाड्, जम्मू-कश्मीर, पाण्डिचेरी, गोवा, दमन-दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, मिज़ोरम।	➢ सभी पत्र, तार एवं फैक्स अंगेजी भा-ाा में भेजे जायें, किन्तु इन प्रदेशों मे केन्द्र सरकार के कार्यालयों को कम से कम 10 प्रतिशत अवश्य हिन्दी में भेजें।

⌘ हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर **अनिवार्य रूप से हिन्दी में** दिए जायें।

⌘ हिन्दी में लिखे या हस्ताक्षर किए गए सभी आवेदनों, अपीलों या अभिवेदनों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जायें।

⌘ सर्विस बुकों में प्रविन्टियां हिन्दी में की जायें।

राजभा-ा अधिनियम की उपधारा 3 (3)

(क) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भा-ाओं का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएः

- संकल्प (Resolution), सामान्य आदेश (General Orders), नियम (Rules), अधिसूचनाएं (Notifications).
- संविदाएं (Contracts), करार (Agreements), अनुज्ञप्तियां (Licences), अनुज्ञापत्र (Permits), निविदा सूचनाएं (Tender Notices) तथा निविदा प्रारूप (Forms of Tenders).
- संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वालो प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र।

(ख) निम्नलिखित प्रक्रिया साहित्य तथा स्टेशनरी आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी का द्विभा-िक प्रयोग सुनिश्चित किया जाएः

- मैनुअलों, संहिताआं (Codes), और अन्य प्रक्रिया साहित्य (Procedural literature) को हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभा-िक रूप में मुद्रित/साइक्थ्लोस्टाइल किया जाए और प्रकाशित किया जाए।
- फार्मों और रजिस्टरों के शी-र्ा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भा-ाओं मे ही मुद्रित/साइक्लोस्टाइल कराए जाएं।
- नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शी-र्ा और लिफाफों तथा स्टेशनरी की अन्य मदों पर छपे या उत्कीर्ण लेख हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में लिखे जाएं।
- फाइलों के वि-ाय हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भा-ाओं मे लिखे जाएं।

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर या ''क'' क्षेत्र में समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु जारी किए जाने वाले विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी मे साथ-साथ जारी किए जाएं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पढ़ाने की व्यवस्था

क. जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों 'क' तथा 'ख' क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली संघ राज्य, गुजरात, महारा-ट्र, पंजाब, राज्यों तथा चण्ड़ीगढ़ संघ राज्य से प्रशिणार्थी आते हैं वहां सामान्यतया हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाए। परन्तु यदि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षणार्थी अंग्रेजी में प्रशिक्षण लेना चाहें तो उनके लिए अंग्रेजी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।

ख. जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'ग' क्षेत्र से या सभी क्षेत्रों से प्रशिक्षणार्थी आते हैं, वहां अंग्रेजी में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

ग. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान देने के लिए यथासंभव ऐसे वक्ताओं को बुलाया जाए, जो हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भा-ाओं का ज्ञान रखते हों ताकि प्रशिक्षणार्थी अपनी सुविधानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकें।

घ. प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भा-ाओं में तैयार करायी जाए और प्रशिक्षणार्थियों की मांग के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

पत्र का रूप विधान

1. शीर्षक (Title)
2. विषय (Subject)
3. संबोधन (Address)
4. मूलकथ्य (Text)
5. अधोलेख (Subscription)
6. पृष्ठांकन (Endorsement)